V

05.07.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर आवाजे दिलाई गई। बावजूद जुलना अनुपस्थित लिहाजा अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैशल कुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश स्वर इजलाश सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति के लौटाया जावे।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर	